प्रपत्र-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00476/2022-2023 दिनांक 14/06/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या: R/ALL/03860/2022-2023 पत्रावली संख्या: AL-21677 दिनांक: 2006-2007

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि न्यू परिवर्तन, **सेक्टर-डी-189 शान्तिपुरम आवास योजना फाफामऊ, प्रयागराज, 211013** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 562/2006-2007 दिनांक-07/09/2006 को दिनांक-07/09/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1550 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B5D2D
Date: 14/06/2022 9:58:28 AM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-14/06/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

संशोधित स्मृति–पत्र

1– संस्था का नाम – न्यू परिवर्तन

2– संस्था का पता – सेक्टर–डी–189 शान्तिपुरम् आवास योजना फाफामऊ, इलाहाबाद

3– समिति का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4– संस्था का उद्देश्य – संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :–

1. संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विद्वालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्राहलय, व्यायामशाला का विकास करना तथा उसका संचालन करना।
2. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा आदि की स्थापना करना।
3. क्षेत्र में शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा व सफाई की व्यवस्था करना तथा उक्त हेतु प्रचार व प्रसार करना।
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी, रचनात्मक संस्थाओं, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, हरिजन समाज कल्याण बोर्ड, व्यक्तिगत प्रतिश्ठानों से दानप, अनुदान चन्दा व ऋण तथा चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त करना व उसका उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।
5. क्षेत्र के लोगों में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता की भावना उत्पन्न करते हुए उन्हें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तकनीकी नीतियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलना/ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना कर उत्पादन बिक्री का कार्य करना।

R. Singh
H. P. Singh
Suparna Roy
Utpal Kumar Roy
अवधेश चन्द्र शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद
4/3/2020

Scanned with OKEN Scanner

6. संस्था के उद्देश्य कार्यक्षेत्र में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करते हुए क्षेत्र में सामाजिक शैक्षिक विकास करना।

7. क्षेत्र की महिलाओं, विकलांगों कारगरों, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देना तथा उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा करना ।

8. गाँधी विचारधारा के अन्तर्गत साहित्यिक प्रसार व प्रचार करना तथा लोगों को रचनात्मक जीवन की ओर अग्रसर करना।

9. प्रौढ़ शिक्षा, ऑगनबाड़ी, बालवाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उसका प्रचार–प्रसार शैक्षिक, सामाजिक रचनात्मक, सांस्कृतिक खेलकूद, निःशुल्क स्वास्थ्यस शिविरों, समारोहों, ग्रामीण मेले का आयोजन तथा युवाओं हेतु कल्याणकारी कार्यो को सम्पादित करना।

10. अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े तथा कमजोर वर्गो के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु कार्य करना।

11. प्राकृतिक प्रकोपों तथा आकसिमक आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करनां

12. ग्रामीण एवं किसानों की पूर्ति हेतु पर्यावरण, वृक्षारोपण प्रदूषण निवारण बागवानी, उद्यान, फल संरक्षण, पशु धन विकास एवं मधुमक्खी, मत्स्य पॉलन आदि की जानकारी तथा सुविधा उपलब्ध कराना।

13. लोगों को भारत भ्रमण हेतु प्रोत्साहित करना तथा भारत की एकता अखण्डता हेतु प्रेरित करना एवं पर्यटन का विकास करना आदि।

14. गरीबीकम करने तथा ग्रामवासियों के बेहतर जीवन स्तर हेतु खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु

R. Singh
H.P. Singh
Suparna Ray
Utpal Ray
अवधेश चन्द्र शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

अनुसांगिक / प्रासंगिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना व प्रोत्साहन देना तथा सहायता करना।

15. जैविक उर्वरक एवं उर्वरक के महत्व के विषय में किसानों को जानकारी देना, जैविक उर्वरक एवं उर्वरकों की इकाईयों की व्यवस्था करना।

16. किसानों को फाउण्डेशन बीज उपलब्ध कराकर बीज उत्पादन कराना, बीज को प्रमाणित कराना एवं किसानों को उससे होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराना।

17. राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि एवं किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कराना।

18. स्वच्छ पानी हेतु हैण्ड पम्प लगाना एवं दूषित पानी एवं वर्षा के पानी को संग्रहित कर स्वच्छ करके इस्तेमाल करने योग्य बनाना।

19. मानव सुरक्षा हेतु प्रयास करना एवं अधिकार दिलाना।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित औषधीय पौधों का संरक्षण तथा उनका विकास करना, औषधियां के पौधों की खेती के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना तथा उन्हें तकनीकी सहयोग देना।

21. पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रसार करना एवं (टीकरिक मैटेरियल) रासायनिक तत्वों को मानव जीवन से समाप्त करने हेतु प्रयास कराना।

22. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा संस्था को सौंपे जाने वाले सभी कार्यो को समिति पूर्ण निष्ठा के साथ करेगी तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेगी।

R. Singh
H P. Singh
Utpal Ray
Saparna Ray
अवधेश चन्द्र शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

बन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पिता का नाम, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री संदीप कुमार सिंह	श्री लाल साहव सिंह	189 सेक्टर डी, शान्तिपुरम आवास योजना फाफामऊ, इला0	अध्यक्ष	व्यापार
2.	श्रीमती सुपर्णा राय	स्व0 देवेश्वर सरकार	189 सेक्टर डी, शान्तिपुरम आवास योजना फाफामऊ, इला0	उपाध्यक्ष	अध्यापक
3.	श्रीमती रंजना सिंह	श्री रामयाद सिंह	189 सेक्टर डी, शान्तिपुरम आवास योजना फाफामऊ, इला0	मंत्री	नौकरी
4.	श्री कमलेन्द्र सिंह	श्री लाल प्रताप सिंह	आनापुर, प्रतापगढ़	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5.	श्री उत्पल कुमार राय	स्व0 वासुदेव राय	189 सेक्टर डी, शान्तिपुरम आवास योजना फाफामऊ, इला0	सदस्य	नौकरी
6.	श्री हरि प्रताप सिंह	श्री अमरनाथ सिंह	ग्राम सटवॉ, बादशाहपुर, जौनपुर	सदस्य	नौकरी
7.	श्रीमती अमिता सरकार	स्व0 देवेश्वर सरकार	189 सेक्टर डी, शान्तिपुरम आवास योजना फाफामऊ, इला0	सदस्य	अधिवक्ता
8.	श्री अवधेश शर्मा	श्री शीतला प्रसाद शर्मा	भुपियामउ, प्रतापगढ़	सदस्य	व्यापार

R. Singh H. P. Singh

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

4/3/20

Suparna Roy
Utpal Roy
अवधेश चन्द्र शर्मा

Scanned with OKEN Scanner

5– हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री संदीप कुमार सिंह	[illegible]
2.	श्रीमती सुपर्णा राय	~~Ranjan~~ Suparna Ray
3.	श्रीमती रंजना सिंह	Ranjana Singh
4.	श्री कमलेन्द्र सिंह	Kamlendra Singh
5.	श्री उत्पल कुमार राय	Utpal Ray
6.	श्री हरि प्रताप सिंह	H. P. Singh
7.	श्रीमती अमिता सरकार	Amit Sarkar
8.	श्री अवधेश शर्मा	अवधेश चन्द्र शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम – न्यू परिवर्तन

2– संस्था का पता – सेक्टर–डी–189 शान्तिपुरम् आवास योजना फाफामऊ, इलाहाबाद

3– समिति का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4– संस्था का उद्देश्य – स्मृति–पत्र के अनुसार

5– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

1. इस संस्था की स्थापना करने वाले आजीवन सदस्य होगें और उन्हें एकमुश्त रू0 1001/– (एक हजार एक रूपया मात्र) देना होगा, तथा जो व्यक्ति आजीवन सदस्य बनना चाहेगें उन्हें रू0 501/– सदस्यता शुल्क एकमुश्त देना होगा।

2. जो व्यक्ति संस्था को एकमुश्त रू0 1000/– (एक हजार रूपये) या उससे अधिक देगा वह विशिष्ट सदस्य होगा। संस्था किसी भी व्यक्ति को उपयोगिता के आधार पर विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर सकती है।

3. जो व्यक्ति संस्था का साधारण सदस्य बनना चाहेगें, उन्हें मु0 510/– रूपया सदस्यता शुल्क प्रति तीन वर्ष बाद देना होगा। सदस्यता की नवीनीकरण न कराने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. संस्था किसी भी व्यक्ति को उपयोगिता के आधार पर या जो व्यक्ति संस्था को एकमुश्त रू0 5000/– (रूपया पांच हजार मात्र) या उससे अधिक देगा उसे संरक्षक बना सकती है।

6– सदस्यता की समाप्ति –

Ranjana Singh

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

1. पागल या दिवालिया घोषित किये जाने पर।
2. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित पाये जाने पर।
3. त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर।
4. अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर।
5. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
6. सदस्यता शुल्क न अदा किये जाने पर।
7. मृत्यु हो जाने पर।
8. संस्था के विरूद्ध कार्य करने पर।

7— संस्था के अंग —

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

8— साधारण सभा —

अ. गठन :

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ब. बैठकें :

सामान्य बैठक वर्ष में चार बार व विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स. सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

Ranjana Singh

Scanned with OKEN Scanner

द. गणपूर्ति :

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर उनमें से कम से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, स्थगन बैठक के उपरान्त कोरम का कोई प्रतिबन्ध न होगा।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

संस्था की विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

र. साधारण सभा के कर्त्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।

9– प्रबन्धकारिणी समिति:

अ. गठन :

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, मन्त्री–एक, कोषाध्यक्ष–एक तथा सदस्यों की संख्या–4 होगी, इस प्रकार कुल मिलाकर संख्या–8 की होगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

ब. बैठकें :

सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक किसी भी

R. Singh

समय बुलायी जा सकती है।

स. **सूचना अवधि :**

बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व में तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द. **गणपूर्तिः**

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर उनमें से कम से कम 2/3 सदस्यों की उपसिथति अनिवार्य होगी, स्थगन बैठक के उपरान्त कोरम का कोई प्रतिबन्ध न होगा।

य. **रिक्त स्थानों की पूर्ति :**

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त होता है, तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/रु3 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

र. **कार्यकाल :**

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

ल. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यः**

1. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनका।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति पूर्ण कार्यो के लिए जिम्मेदार होंगी।
4. साधारण सभा के द्वारा निर्धारित नीतियों तथा स्वीकृति के अन्तर्गत अपने कार्यो को संचालित करेगा।
5. संस्था द्वारा संचालित सभी कार्य–कलापों पर नियंत्रण रखना व

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

R. Singh

उनका निरीक्षण करना।

6. संस्था के नये कार्यों को संविधान के अनुसार करना।

7. संस्था के कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति तथा निष्कासन की कार्यवाही करना।

8. संस्था के अभिलेखों का अपनी देख–रेख में रखना।

10. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :**

अ. अध्यक्ष : कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा की अध्यक्षता करेगें, तथा मंत्री की सलाह से आवश्यकता पड़ने पर समिति की व्यवस्था में परिवर्तन करेगें। समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देगें।

ब. उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये कार्यो को पूरा करना तथा संस्था के विकास कार्यो में अध्यक्ष की मदद करना।

स. मंत्री : कार्यकारिणी समिति तथा आम बैठक की सूचना निकालना विषय सूचीबद्ध करना तथा कार्यवाही लिखना। समिति के सभी प्रकार के कागजातों पत्र पत्रावलियों का रिकार्ड रखना एवं आवश्यकता पड़ने पर सदस्य बनाना या इन्कार करना, चन्दा एवं अनुदान लेना, रसीद बनाना मुकदमा चलाना व उनकी पैरवी करना।

संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का निरीक्षण, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति तथा निष्कासन की कार्यवाही एवं वेतनवृद्धि, वेतन आदि निर्धारित करना। संस्था के लिए चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

R. Singh

संस्था द्वारा आरम्भ की गयी समस्त योजनाओं का संचालन एवं व्यवस्था करना एवं कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना तथा उससे सम्बन्धित व्यक्तियों से पत्र–व्यवहार करना।

द. कोषाध्यक्ष : कार्यकारिणी समिति के सम्मानित सदस्य के रूप में रहेंगे एवं कोष व हिसाब–किताब रखेगें।

सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उसकी रसीद आदि देना।

11. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :**

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

12. **संस्था का कोष :**

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोलकर संचालित किया जायेगा, जिसका आहरण संस्था के मंत्री व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

13. **संस्था का आय–व्यय का वार्षिक लेखा–परीक्षण :**

संस्था के आय–व्यय का वार्षिक लेखा–परीक्षण वित्तीय वर्ष के अन्त में किसी सुयोग्य आडिटर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा कराया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

14. **संस्था का आय–व्यय :**

व्यय का विवरण व लेखा–जोखा कोषाध्यक्ष के सहयोग से मंत्री बनायेगें तथा इसका आडिट प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त आडीटर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा कराया जायेगा।

15. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :**

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व संस्था के मंत्री अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति पर होगा।

16. **संस्था के अभिलेख :**

1. कार्यवाही रजिस्टर।
2. स्टाक रजिस्टर।
3. सदस्यता रजिस्टर।
4. स्टाफ रजिस्टर।
5. एजेण्डा रजिस्टर।
6. लेजर, कैश बुक आदि।
7. बिल तथा बाउचर।

17. **संस्था के विघटन पर स्थिति:**

संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति का निस्तारण सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की अधिनियम की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत किया जायेगा।

18. अन्य नियम :

सत्य प्रतिलिपि

<u>प्रतिबन्ध</u>

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद

2. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय में सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/काउसिंल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्ति होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य, सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये

सत्य प्रतिलिपि

R. Singh

जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजीकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन / परिवर्धन / संशोधन नहीं किया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

R. Singh

हस्ताक्षर

H. P. Singh

Ramlend Singh

Suprana Roy

Utapal Roy

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निदेशक

बेसिक शिक्षा

उ० प्र० इलाहाबाद